आदेश संख्याः 25 दिनांकित: 01.03.2024

आज दिनांक 01.03.2024 को जनपद न्यायाधीश, हरदोई के विश्राम कक्ष में अपराह्न 4:30 बजे चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी में पदोन्नत किये जाने के सम्बन्ध में सेलेक्टिंग अथॉरिटी की बैठक आहूत की गयी जिसकी अध्यक्षता राज कुमार सिंह, जनपद न्यायधीश, हरदोई द्वारा की गयी। सदस्या श्रीमती प्रीती श्रीवास्तव, प्रथम अपर जिला जज, हरदोई एवं सदस्या श्रीमती तूलिका बन्धू, सिविल जज (सी0 डि0), हरदोई उपस्थित आये।

बैठक में सेलेक्टिंग अथॉरिटी के समक्ष उपरोक्त प्रकरण से सम्बन्धित माननीय उच्च न्यायालय के D.O. NO. C.V. 1894/2023 ALLABAD, DATED: DEC,4,2023 प्रस्तुत किया गया जिसमें माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति सत्रखण्ड हरदोई द्वारा पारित आदेश का उल्लेख किया गया है जो निम्नवत है।

“Promotions have to be undertaken in accordance with prescribed Rules. However, the District Judge is at liberty to take General Suitability Test to assess suitability of a candidate for work to be undertaken after promotion.”

बैठक में जनपद न्यायालय हरदोई में चतुर्थश्रेणी के नियमित संवर्ग में नियुक्त कर्मचारियों की तृतीयश्रेणी में प्रोन्नति के सम्बन्ध में प्रशासनिक समिति जनपद न्यायालय हरदोई की आख्या दिनांकित 01.03.2024 प्रस्तुत की गई, जिसमें उल्लेख किया गया है कि समिति द्वारा प्रश्नगत प्रकरण पर विचार किया गया। समिति द्वारा उत्तर प्रदेश सबार्डिनेट सिविल कोर्ट इन्फीरियर इस्टाब्लिशमेन्ट रूल्स 1955, माननीय उच्च न्यायालय परिपत्र संख्या 55 दिनाँकित 25.09.2023 एवं उत्तर प्रदेश राज्य जिला न्यायालय सेवा नियमावली 2013 तथा प्रभारी मुख्य प्रशासनिक अधिकारी द्वारा तैयार की गई उपरोक्त समेकित वरिष्ठता सूची का अवलोकन किया गया। वरिष्ठता सूची वर्ष 2023 की ग्रेडेशन लिस्ट के आधार पर तैयार की गयी है। वरिष्ठता सूची में कर्मचारीगण की सेवा प्रारम्भ की तिथि के अनुसार उनको वरिष्ठता के क्रम में रखा गया है। समिति की राय में उपरोक्त समेकित सूची दिनाँकित 27.02.2024 नियमानुसार तैयार की गई।

सेलेक्टिंग अथारिटी द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में उत्तर प्रदेश राज्य जिला सेवा नियमावली 2013 एवं अन्य समस्त सुसंगत अभिलेखों का अवलोकन किया गया। उत्तर प्रदेश राज्य जिला न्यायालय सेवा नियमावली 2013 के Schedule-B में क्रमांक पांच पर अंकित पदों पर भर्ती की प्रक्रिया निम्नवत दर्शायी गयी है :-

S.N.	Category Posts	Schedule-B [See rule 3(3) & 4] Method of Recruitment	Qualification
5.	Junior Assistant(Amin Grade-II Category “C”/Copyist (Civil & Police Case	[(a) Eighty percent by direct recruitment by holding competitive test. (b) Twenty percent by promotion form amongst Group	Intermediate with Maths with special knowledge of Urdu and Hindi along with a CCC Certificate issued by DOEACC society and 25/30 words per minute of Hindi/English

	Diaries/Assistt. Account Clerk/ Additional Clerk/ Court Clerk/Admin. Clerk/Writer & Runner/Typist, etc., Clerk-Cum-Typist Category "C") 5200-20,200 Grade pay 2000	"D" employees on the basis of seniority subject to rejection of the unfit with minimum of five years substantive and satisfactory service having qualification upto High School: Provided that the post of Amin Grade-II shall be filled only by the direct recruitment.]	Typewriting on computer, (as per G.O. No. 1595/VII-Nyay-2-2011-68G/2011, dated 17.02.2012). Arithmetic, Mensuration, Elementary Land Surveying and Mapping, Order XXVI of Act No. V of 1908 and Rules in [General Rules] (Civil) relating to the work and duties of the Junior Assistant.

सेलेक्टिंग ऑथोरिटी के समक्ष उ०प्र राज्य जिला न्यायालय सेवा नियमावली 2013 में उल्लिखित प्राविधानों के अनुरूप जनपद न्यायालय, हरदोई में चतुर्थश्रेणी से तृतीयश्रेणी में पदों की संख्या का निर्धारण विषयक प्रशासनिक समिति की आख्या दिनांकित 29.11.2023 जो जनपद न्यायाधीश हरदोई द्वारा दिनांक 29.11.2023 को अनुमोदित की गयी, प्रस्तुत की गयी। आख्या के निष्कर्ष में निम्नवत उल्लेख किया गया हैः-

इस प्रकार समिति की राय में जनपद न्यायालय, हरदोई में चतुर्थश्रेणी से तृतीयश्रेणी में प्रोन्नति हेतु केवल 9 पद रिक्त हैं।

सेलेक्टिंग ऑथोरिटी द्वारा सेवा विधि के अध्याय-15 शीर्षक पदोन्नति के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश लोक सेवा-आयोग सपरामर्श चयनोन्नति (प्रक्रिया) नियमावली, 1970 का अवलोकन किया गया। जिसके भाग 4 में पदोन्नति की प्रक्रिया "यदि अनुपयुक्त को अस्वीकृत करते हुए ज्येष्ठता मानदण्ड हो।"का उल्लेख किया गया है। जिसके प्रस्तर 21 निम्नवत हैः-

पात्रता सूची तैयार करना-(1) नियम -22 में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, नियुक्ति प्राधिकारी प्रत्येक अनुभाग से अर्थात् सामान्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की अलग-अलग तीन सूचियां, जिसे ज्येष्ठतम पात्र अधिकारियों की पात्रता सूचियां कहा जायेगा, तैयार करेगा जिसमें उक्त प्रत्येक अनुभाग के लिए उपलब्ध रिक्तियों की दृष्टि में रखते हुए, यथा संभव, निम्नलिखित अनुपात में नाम दिये जायेंगेः-

1 से 5 तक- रिक्तियों की संख्या का दुगना किन्तु कम से कम 5,

5 से अधिक रिक्तियों के लिए- रिक्तियों की संख्या का डेढ़ गुना किन्तु कम से कम 10, नियम -8 का प्रथम प्रतिबन्धात्मक खण्ड और स्पष्टीकरण यथावश्यक परिवर्तन सहित इस नियम पर लागू होंगे।

(2) भाग तीन में विहित शेष प्रक्रिया यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित इस भाग के अधीन की गयी पदोन्नति पर लागू होगी सिवाय इसके कि भाग तीन में अभिदिष्ट चयन सूची , चयन समिति द्वारा अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता क्रम में तैयार की जायेगी।

कोटिक्रम सूची (ग्रेडेशन लिस्ट) वर्ष 2023 चतुर्थश्रेणी कर्मचारीगण जनपद न्यायालय, हरदोई के आधार पर ग्रुप डी कर्मचारीगण, जनपद न्यायालय, हरदोई की उपरोक्त वर्णित समेकित वरिष्ठता सूची में निर्धारित अर्हता रखने वाले वरिष्ठतम चतुर्थ श्रेणी 14 कर्मचारीगण निम्नवत हैंः-

1.श्री भगवान बक्श

2.श्री राकेश कुमार-I

3.श्री सतेन्द्र कुमार

4.श्री संजीव त्रिपाठी

5.श्री अरूण कुमार अस्थाना

6.श्री विजय कुमार सिंह

7.श्री रामकृष्ण दीक्षित

8.श्री आलोक कुमार शर्मा

9.श्री उमाशंकर

10.श्री महेश प्रसाद

11.श्री अशोक कुमार

12.श्री नन्द किशोर पटेल

13.श्रीमती प्रेमलता

14.श्री मो० अहमद

सेलेक्टिंग ऑथोरिटी की राय में उक्त 14 कर्मचारीगण से अपेक्षा की जाती है कि यदि वे सामान्य उपयुक्तता परीक्षा (General Suitability Test) में प्रतिभाग नहीं करना चाहते हैं तो वे प्रशासनिक कार्यालय जनपद न्यायालय, हरदोई में इस आशय का प्रार्थनापत्र अविलम्ब प्रस्तुत कर दें। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त चौदह कर्मचारीगण में से ऐसे चतुर्थश्रेणी कर्मचारीगण जो स्वेच्छा से उपरोक्त सामान्य उपयुक्तता परीक्षा (General Suitability Test) में सम्मिलित नहीं होते हैं उनको उ०प्र० राज्य जिला न्यायालय सेवा नियमावली 2013 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत जनपद न्यायालय हरदोई के चतुर्थश्रेणी के नियमित संवर्ग में उच्चतम् स्तर तक ही उनका कंसीडरेशन सेलेक्टिंग अथारिटी द्वारा किया जा सकेगा। अर्थात उनका चतुर्थश्रेणी के नियमित संवर्ग में उच्चतम् स्तर (दफ्तरी/बण्डल लिफ्टर) के पद पर ही पदोन्नति हेतु विचारण (Consideration) किया जायेगा।

Sd/-	Sd/-	Sd/-
(तूलिका बन्धू)	(प्रीती श्रीवास्तव)	(राजकुमार सिंह)
सदस्य, सेलेक्टिंग अथॉरिटी/	सदस्य, सेलेक्टिंग अथॉरिटी/	अध्यक्ष, सेलेक्टिंग अथॉरिटी/
सिविल जज (सी०डि०)	अपर जिला व सत्र न्यायाधीश	जनपद न्यायाधीश,
हरदोई।	कक्ष सं0-1, हरदोई	हरदोई